भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1919
दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पश्चिम बंगाल को निधि का वितरण

†1919. सुश्री सयानी घोषः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को आवंटित, जारी और लंबित निधि का विवरण, इसकी शुरुआत से लेकर, वर्षवार क्या है;
(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के माध्यम से कुल कितनी निधि मांगी गई है; और
(ग) उक्त राज्य को लंबित निधि प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कितनी समय-सीमा प्रस्तावित की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के लिए जल जीवन मिशन को मंज़ूरी दी थी और अनुमोदित मिशन अवधि के दौरान, विभाग ने 2024-25 में उपयोग के लिए 22,694 करोड़ रुपये शेष छोड़कर 1,85,958 करोड़ रुपये का उपयोग किया था। इसके अलावा, व्यय विभाग की सहमति से शेष निधि के उपयोग की अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया और 2024-25 में लगभग पूरी उपलब्ध निधि का उपयोग किया गया। 2019-20 से 2024-25 की अवधि के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 13,027.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

जेजेएम के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अनुमोदित मानदंडों के अनुसार निधियां आवंटित की जाती हैं। आवंटित, जारी की

गई तथा पश्चिम बंगाल राज्य द्‌वारा व्यय की गई निधि (केन्द्रीय + राज्य) का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य का व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	राज्य द्‌वारा आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1	2019-20	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	469.54
2	2020-21	1,146.58	1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17
3	2021-22	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77
4	2022-23	614.67	6,180.25	3,090.12	3,704.79	1,953.73	3,204.21
5	2023-24	1,751.06	3,806.29	4,206.29	5,957.35	5,004.16	5,155.11
6	2024-25	953.19	5,049.98	2,524.99	3,478.18	3,003.06	4,905.55
7	2025-26	475.13	-	-	475.13		
कुल			**24,645.00**	**13,027.84**	**13,788.66**	**13,313.54**	**15,101.35**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

राज्य संपूर्ण केन्द्रीय निधि आवंटन प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने समय पर जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में परिकल्पित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था।

इसके अलावा, अब तक हासिल की गई प्रगति और चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन को बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

*****